

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/352

दिनांक - 11.2.20

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ठाकराराम 2 बाबूराम
पिसरान हरजीराम जाति
ब्राह्मण निवासी बोला
तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 भवानीगिरी पुत्र केशरगिरी 2 दीपगिरी 3 हीरगर 4 शंकरगर
पिसरान पवनगिरी जाति स्वामी 5 जेटा पुत्र कुम्भा 6 मांगा 7
आसू पिसरान पूनमा 8 रेखा 9 चैना 10 चिमा पिसरान रावता
जाति जाट 11 गौनसिंह पुत्र तगसिंह 12 खेतसिंह पिसरान
जवाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बोला तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी वकत
राजस्व आवेदन संख्या :- 172/2019

दिनांक-07/02/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 282, 518/208 कुल रकबा 12.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 11.2.20

क्रमांक :- रीडर/2020/353-56

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वकत पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ठाकराराम पुत्र हरजीराम वगैराह जाति ब्राह्मण निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भवानीगिरी पुत्र केशरगिरी वगैराह जाति स्वामी निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

